Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी बनाम **दानिश खां वगैराह**

किस्म मुकदमा **अपील (रसद)** नं0 **002** सन॰ **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2023	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार हितेश जोशी हाजिर। वकील विपक्षी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना भदेसर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/2020 दिनांक 15.10.2020 अन्तर्गत धारा 407, 411 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा माल के निस्तारण के संबंध में आवदेन अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि हस्तगत प्रकरण में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा माल का निस्तारण किया जा चुका है, अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट से जाहिर आया है कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 407, 411 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के दर्ज किया गया है, एवं प्रकरण में मुताबिक पैरोकार सरकार जब्तशुदा माल का सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है, अतः पैरोकार सरकार के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं प्रकरण में जब्तशुदा माल का निस्तारण हो जाने से कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति जिला रसद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 18.01.2023	